म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / 1386 भोपाल,दिनांक : 01 / 06 / 2019

प्रति,

संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.............................(समस्त)

विषयः– व्यापारियों द्वारा किसानों को समय पर भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत व्यापारियों द्वारा किसानों से क्रय की गई कृषि उपज का समय पर भुगतान नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। उक्त के संबंध में यह पता चला है कि जिन प्रसंस्करण इकाईयॉ को व्यापारियों द्वारा माल बेचा जाता है उनके द्वारा व्यापारियों का भुगतान विलम्ब से किया जाता है, जिस कारण व्यापारी की क्रय क्षमता प्रभावित होती है और इसका प्रभाव मंडी के क्रय पर और कभी–कभी किसानों के भुगतान पर भी पड़ता है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित प्रसंस्करण इकाईयों की एक बैठक आयोजित कर उनको नियत समयावधि में व्यापारियों का भुगतान करने के लिए निर्देशित करें एवं बैठक में व्यापारी संघ के प्रतिनधियों को भी आमंत्रित करलें, ताकि उनके अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा कर निराकरण किया जा सके।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.